

(भारत के राजपत्र के भाग I, खण्ड II में प्रकाशनार्थ)

संख्या-13017/53/2012-अ.भा.से.-I

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)


\*\*\*

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक 24 मई, 2013

### अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हिमाचल प्रदेश एवं झारखंड राज्य की सरकारों की सहमति से, केन्द्र सरकार एतद्वारा गम्भीर स्वास्थ्य समस्याओं के कारण होने वाली अत्यधिक कठिनाई के आधार पर सुश्री ममता, आईएएस(एचपी:04) का स्थानांतरण हिमाचल प्रदेश संवर्ग से झारखंड संवर्ग में करती है।



(एस.एस.शुक्ला)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद,

हरियाणा